"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2011—कार्तिक 2, शक 1933

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

अधिसूचना

क्रमांक 1244/342/11/स्था./चार.—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रकाश में, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपादित अंकेक्षण के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, लेखाओं की सांकेतिक परीक्षा करने एवं वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर अभिमत देने तथा अनुपूर्ति करने का ऐसा अधिकार होगा, जैसा कि वह ठीक समझे.

1. उक्त पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के लेखों का लेखा परीक्षा संपादित करने के लिए निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

(एक) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को लेखा परीक्षा के संबंध में, ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) करने के संबंध में रखते हैं.

(दो) लेखा परीक्षा का परिणाम (आडिट रिपोर्ट), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों को संसूचित किये जा सकेंगे. नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्रतिवेदन की एक प्रति सीधे शासन को भी अग्रेषित कर सकेगा.

(तीन) लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) संपादित करने की परिधि, विस्तार और तरीके (रीति) ऐसी होगी जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विनिश्चित किया जाये.

(चार) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके प्रतिनिधि को अपने स्वविवेक से लेखा परीक्षा के परिणामों को राज्य विधानमण्डल को सूचित (रिपोर्ट) करने का अधिकार होगा.

(पांच) उपरोक्त निबंधन एवं शर्तें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) के अन्य धाराओं के अधीन तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के अधीन पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय नगरीय निकायों के लेखों एवं अभिलेखों तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पहुंच के अधिकार को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं करेंगे.

2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेहिता के प्रयोजन के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक बाह्य लेखा परीक्षक जैसे कि स्थानीय निधि संपरीक्षा (वैधानिक लेखा परीक्षक) को उपयुक्त तकनीकी दिशा निर्देश एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा. इस प्रकार के तकनीकी दिशा निर्देश एवं पर्यवेक्षण की निर्धारित सीमा (पैरामीटर) ऐसी होगी जैसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 23 के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षा विनियम, 2007 के अध्याय 10 की धारा 152 से 154 में दर्शित है, जो निम्नानुसार है :—

(एक) स्थानीय निधि संपरीक्षक, आगामी वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) के लिए, एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक तैयार करेंगे और इसे राज्य के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को अग्रेषित करेंगे.

(दो) स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) के लिए, लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएं, विभिन्न अधिनियमों और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित संविधियों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी. चयनित स्थानीय निकायों के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां, प्रणाली सुधार पर सलाह देने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अग्रेषित की जाएगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई जा रही विद्यमान प्रणालियों में सुधार के सुझाव देने की दृष्टि से उनकी समीक्षा करेंगे. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा (छानबीन) कर, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन की गुणवत्ता की निगरानी भी करेंगे.

(तीन) स्थानीय निधि संपरीक्षक, ऐसे प्रपत्र में विवरणी भेजेंगे जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सलाह देने एवं निगरानी करने के लिए विहित किया जाए.

(चार) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तकनीकी दिशा निर्देश देने के क्रम में कुछ पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की सांकेतिक परीक्षा करेंगे. सांकेतिक परीक्षा का प्रतिवेदन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यवाही के अनुसरण के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षक को भेजा जाएगा. स्थानीय निधि संपरीक्षक, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों का अनुपालन ऐसी रीति में जारी रखेंगे, जैसे कि ये उसके अपने प्रतिवेदन हैं.

(पांच) स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा देखी गई गंभीर अनियमितताएं जैसे प्रणाली में कमियां, नियमों की गंभीर अवहेलना और धोखाधड़ी, आपत्तियों के मौद्रिक मूल्य पर ध्यान दिए बिना, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जायेगा.

(छः) स्थानीय निधि संपरीक्षक, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से अपने संगठन में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेंगे.

(सात) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय निधि संपरीक्षा स्टॉफ का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1244/342/2011/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1244/342/2011/स्था./चार, दिनांक 24-10-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 24th October 2011

NOTIFICATION

No. 1244/342/2011/ESTT/IV.—In the light of the recommendation of the 13th Finance Commission, the State Government has decided that, in addition to audit to be conducted by the Director, Local Fund Audit of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies, the Comptroller and Auditor General of India shall have the right to conduct such test check of the accounts and to comment on and supplement the report of the Statutory Auditor, as he may deem fit under sub-section (1) of Section 20 of the Comptroller and Auditor Generals (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).

1. The terms and conditions for conducting the audit of the accounts of the said Panchayati Raj Institutions/ Urban Local Bodies will be as follows :—

   (i) The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit, shall have the same rights, privilege and authority as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts.

   (ii) The result of audit may be communicated by Comptroller and Auditor General or any person appointed by him to the Panchayati Raj Institutions/Urban Local Bodies. The Comptroller and Auditor General may also forward a copy of the report directly to the Government.

   (iii) The scope, extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller and Auditor General.

   (iv) The Comptroller and Auditor General or his representative shall have the right to report to State Legislature, the results of audit at his discretion.

   (v) The above terms and conditions shall not affect, in any way, the Comptroller and Auditor General's right to access the accounts and records of the Panchayati Raj Institutions/Urban Local Bodies under other sections of the Comptroller and Auditor-Generals (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971 (56 of 1971) and under other due statutory process.

2. The Comptroller and Auditor General may provide suitable Technical Guidance and Supervision to primary external auditors of Panchayati Raj Institutions viz the Local Fund Audit (Statutory Auditor), for the purpose of strengthening Public Finance Management and Accountability in Panchayati Raj Institutions/Urban Local Bodies. The parameters of such Technical Guidance and Supervision would be as illustrated in Section 152 to 154 of Chapter 10 of Audit Regulations, 2007 issued by the Comptroller and Auditor General under Section 23 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971 (56 of 1971) which are as follows :—

   (i) The Local Fund Auditor, shall prepare, by the end of March every year, an annual audit plan for audit of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the next financial year and forward it to the Accountant General (Audit) of the State.

   (ii) The audit methodology and procedures for audit of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies by the local fund auditor shall be as per various Acts and Statutes enacted by the State Government and guidelines prescribed by the Comptroller and Auditor General. Copies of

inspection reports in respect of selected local bodies shall be forwarded by the local fund auditor to the Accountant General (Audit) for advice on system improvements and the Accountant General (Audit) shall review the same with a view to make suggestions for improvement of existing systems being followed by the Local Fund Audit Department. The Accountant General (Audit) will also monitor the quality of the inspection reports issued by the local fund auditor by scrutinising such inspection reports.

(iii) The Local Fund Auditor shall furnish returns in such format as may be prescribed by the Comptroller and Auditor General for advice and monitoring.

(iv) The Accountant General (Audit) would conduct test check of some Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in order to provide technical guidance. The report of the test check would be sent to the local fund auditor for pursuance of action to be taken Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies. The Local Fund Auditor shall pursue the compliance of such paragraphs in the inspection reports of the Accountant General (Audit) in the same manner as if these are his own report.

(v) Irrespective of the money value of the objections, any serious irregularities such as system deficiencies, serious violation of rules and fraud noticed by Local Fund Auditor shall be intimated to the Accountant General (Audit).

(vi) The Local Fund Auditor shall develop, in consultation with the Accountant General (Audit), a system of internal control in his organisation.

(vii) The Acoountant General (Audit) shall also undertake training and capacity building of the Local Fund Audit staff.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.